आपसी समझौता
(Memorandum of Under Standing)

यह सहमति पत्र आज दिनांक ---------- को वनमण्डलाधिकारी --------- वनमण्डल जो इसके उपरांत प्रथम पक्ष के रूप में उल्लेखित होगें, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ------------------------------- जो इसके उपरांत द्वितीय पक्ष के रूप में उल्लेखित होगें के मध्य --------- वनमण्डल के -------- वन परिक्षेत्र के ---------- में स्थापित बांस प्रसंस्करण केन्द्र स्थानीय बसोड परिवारों, बांस शिल्पकारों को सतत् रोजगार प्रदान कर एक लाभप्रद इकाई के रूप में संचालित करने हेतु तैयार किया गया है। यह अनुबंध हस्ताक्षरित तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस सहमति में वर्णित प्रथम पक्ष वन विभाग के अधिकारी जिन्हें विभाग द्वारा ---------- में स्थापित बांस प्रसंस्करण केन्द्र को स्थानीय बसोड परिवार, बांस शिल्पकारों के एक लाभप्रद इकाई के रूप में संचालन करने के जिम्मेदारी है तथा द्वितीय पक्ष एक व्यवसायिक इकाई है।

यह आपसी सहमति पत्र का निष्पादन उपर वर्णित पक्षों के बीच सम्पादित किया जा रहा है, इस सहमति पत्र प्रथम पक्ष की ओर से वनमण्डलाधिकारी --------- तथा द्वितीय पक्ष की ओर से --- द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

(1) उभय पक्ष द्वारा निम्न कार्य किये जावेगें –

(1.1) क्षेत्र के उपयुक्त 25–30 स्थानीय परम्परागत बसोड़ परिवार, बांस शिल्पकारों का चयन किया जावेगा। जिन्हें उक्त केन्द्र में प्रशिक्षण सतत् रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा।

(1.2) कार्य स्थल/मशीनरी स्थापित स्थल में उपलब्ध विद्युत कनेक्शन तथा पानी की व्यवस्था सहित शेड उपलब्ध करायेगें।

(1.3) समय–समय पर वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी निर्देश उभय पक्षों के लिए बंधनकार एवं मान्य होगा।

(2) प्रथम पक्ष द्वारा निम्न कार्य किये जावेगें –

(2.1) कार्य स्थल/स्थापित मशीनरी स्थल में उपलब्ध विद्युत, पानी की व्यवस्था सहित शेड उपलब्ध करायेगें।

(2.2) निर्धारित दर पर उपलब्धता अनुसार बांस उपलब्ध कराया जायेगा।

(2.3) कार्य में संलग्न स्वसहायता समूह/बांस शिल्पकारों का स्थानीय बैंक में खाता खोला जायेगा।

(2.4) वन विभाग के बांस एम्पोरियम में निर्मित सामग्रियों का निःशुल्क प्रदर्शन व बिक्री सुविधा प्रदान किया जायेगा।

(3) द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कार्य किये जावेगें –

(3.1) स्थानीय वन डिपो में बांस उपलब्ध न होने पर स्थानीय रूप से उपलब्धतानुसार बांस क्रय कर पूरे वर्ष केन्द्र का संचालन किया जायेगा।

(3.2) बांस शिल्पकारों/कामगारों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षक उपलब्ध करायेगें।

(3.3) प्रशिक्षण के दौरान निर्मित सामग्रियों की बिक्री करायी जावेगी तथा प्रति वर्ष बिक्री लाभ का 15 प्रतिशत या रूपये 1,00,000 जो भी अधिक हो, वनमण्डलाधिकारी के निर्देश अनुसार बांस प्रसंस्करण केन्द्र के रखरखाव के लिये एक चक्रीय निधि में जमा कराया जायेगा। यह राशि प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के पश्चात् न्यूनतम रूपये 25000/– या 15 प्रतिशत जो भी अधिक हो, जमा की जावेगी। बांस प्रसंस्करण केन्द्र को पुनः व्यवस्थित करने, पूर्व प्रशिक्षित समूहों को एकत्र करके केन्द्र से जोड़ने एवं आवश्यकतानुसार पुनः प्रशिक्षण देने हेतु द्वितीय पक्ष को प्रथम 3 माह पश्चात् राशि जमा करने से छुट दी जायेगी। 6 माह पश्चात् रूपये 50000/– जमा कराये जायेंगे। दूसरे वर्ष यह राशि बिक्री का 15 प्रतिशत या न्यूनतम रूपये 37500/–प्रति तिमाही तथा वर्ष के अंत में रू. 1.5 लाख होगी। तीसरे वर्ष यह राशि बिक्री का 15 प्रतिशत या रूपये 50000/– प्रति तिमाही या वर्ष के अंत में रूपये 2 लाख होगी। यह खाता संबंधित वनमण्डलाधिकारी तथा संस्था प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर से

संचालित होगा। जमा राशि क्षेत्रीय वन संरक्षक की अनुमति से आहरित की जा सकेगी तथा केन्द्र के रखरखाव हेतु उपयोग की जायेगी।

(3.4) प्रसंस्करण केन्द्र वनमण्डलाधिकारी ———— वनमण्डल, उपवनमण्डलाधिकारी ——— वनमण्डल, परिक्षेत्र अधिकारी ———— परिक्षेत्र के निर्देशानुसार संचालन किया जावेगा।

(3.5) प्रसंस्करण केन्द्र का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक वनमण्डल कार्यालय ———— एवं परिक्षेत्र कार्यालय ———— में उपलब्ध कराई जाय।

(3.6) प्रशिक्षण के दौरान हितग्राहियों को प्रदाय मानदेय/कार्य अनुसार मजदूरी उनके नाम से स्थानीय शासकीय बैंकों के शाखा में खोली गई खाता में प्रति माह जमा कराना सुनिश्चित करेगा।

(3.7) स्थापित मशीनरी का उचित रखरखाव सुनिश्चित करेगा।

(3.8) बिजली एवं पानी के बिल का भुगतान किया जायेगा। आपसी समझौता के पश्चात् बांस प्रसंस्करण केन्द्र के बिजली एवं पानी के बिल का भुगतान किया जायेगा। अनुबंध पूर्व की समस्त प्रकार के देनदारी वन विभाग द्वारा देय होगा।

(4) इस सहमति पत्र प्रभावशील होने के तारीख से प्रथम एवं द्वितीय पक्ष उपर वर्णित कण्डिकाओं में उल्लेखित बातों को मानने हेतु सहमत होगें।

(5) इस सहमति पत्र के बिन्दुओं पर असहमति अथवा दोनों के मध्य किसी भी प्रकार के विचार भिन्नता होने की स्थिति में परिक्षेत्र अधिकारी ———— से चर्चा कर सुलझायेगे। आवश्यकतानुसार उपवनमण्डलाधिकारी वनमण्डल ——— के समक्ष अपना पक्ष रखगें। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल ———— द्वारा दोनों पक्षों से चर्चा कर सहमति कायम की जायेगी वनमण्डलाधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होने पर वन संरक्षक वन वृत्त ———— के समक्ष अपना पक्ष रखेगें जिनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(6) यह सहमति पत्र आपसी समन्वय से क्रियान्वयित होगा एवं दोनो पक्ष को पढ़ समझ कर एवं जानकर दो गवाहों के समक्ष निष्पादित किया जा रहा है जो कि पूर्व उल्लेखित अनुसार सहमति दिनांक से तीन वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगी।

(7) इस सहमति पत्र के कण्डिका में कोई बात उल्लेख नहीं हो पाया है वे बात आपसी चर्चा एवं सहमति उपरान्त अनुबंध अवधि में वनमण्डलाधिकारी ——— के अनुमति से परिवर्तनीय होगा। कार्य की प्रगति संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंधित समय अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् पुनः विस्तारित भी किया जा सकेगा।

यह सहमति पत्र आज दिनांक ———— को दोनों पक्षों द्वारा गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)	**हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)**
वनमण्डलाधिकारी	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
———————— वनमण्डल,	————————————
जिला————————	————————————
(1) गवाह हस्ताक्षर :–	**(1) गवाह हस्ताक्षर :–**
नाम–	नाम– ....
पता–	पता– ....
....	....